ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

CMS NO.-2002/00019
सल नम्बर–101/02

1.विक्रमगिरी आत्मज श्री देवगिरी, जाति गौस्वामी निवासी कंसुआ कोटा

–वादी

बनाम

1.जिला मत्सय अधिकारी कोटा

–प्रतिवादी

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 14/7/25

उपस्थित–
1.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक वादी
2.प्रतिवादी स्वयं

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रकरण निम्न प्रकार हैः–
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92 ए के तहत् वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के कब्जे काश्त की खसरा नं0 82 की 0.48 है0 आराजी वाके ग्राम कसुंआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, उक्त आराजी पर वादी का गत 26 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, एवं वादी ही उक्त आराजीयात की आज तक निरन्तर व अबाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न ही प्रतिवादी उक्त आराजी का खातेदार है। प्रतिवादी येन केन प्रकरण वादी को उसके कब्जे व काश्त की उक्त आराजी से बेदखल कर उस पर कब्जा काश्त चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति में प्रतिवादी के कुछ कर्मचारी दिनांक 06.06.2002 को वादग्रस्त आराजी पर आये और उन्होंने वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया, जिस पर आस पास के काश्त कारी द्वारा समझाने पर उक्त समय तो वे वहां से चले गये, किन्तु जाते जाते कह गये कि वे तो वादी को उक्त आराजी से बेदखल करके कब्जा करके ही रहेंगे। यदि प्रतिवादी अपने उक्त अवैध कृत्य में सफल हो गया तो वादी के साम्पतिक अधिकारी पर भारी कुठाराघात होगा, उसके परिवार वाले भूखे मर जावेगे अपरिमित हानि होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के विरूद्ध निम्न लिखित डिक्री पारित की जावें कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से निषिद्ध किया जावे कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी वर्णित चरण क्रम 2 वादपत्र से बेदखल नहीं करे उसके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा न करें, उस पर कब्जा न करे, यह कार्य अपने प्रतिनिधियों

उपखण्ड अधिकारी कोटा

र्मचारियों से भी ना करावें, वाद व्यय वादी को दिलाया, अन्य न्यायोचित सहायता ही दी जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के पश्चात प्रतिवादी को समन प्रेषित कर तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि 25 वर्षपूर्ण श्री देवा जी गिरी मन्दिर के पुजारी थे। न कि विक्रम गिरी खसरा नम्बर 82 जो ग्राम कन्सुवा पटवार सर्किल रायपुरा कोटा के अन्तर्गत आता है राजस्व रिकॉर्ड में सिचाई विभाग के नाम दर्ज है जो राजकीय सम्पति है। यह भूमि गैर मुमकिन किस्म की है। जिसका अस्थायी आंवटन राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अस्थायी तौर पर किया जाता रहता है। यह भूमि 29.01 हैक्टर है। इसका कुछ भाग एकं एक वर्ण हेतु प्रतिवर्ष आवंटित किया जाता है। एक वर्ष की अवधि पश्चात् आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस कारण वादी का इस पर लगातार कब्जा होना तथा वादी द्वारा पिछले 25 वर्ष से काश्त करना स्वीकार नहीं है। वादी के पक्ष में प्रति वर्ष आवंटन आदेश नही हुये है। वादी द्वारा इसका प्रतिवर्ष भूमि पर करता जमा कराने की रसीदे व प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस कारण वादी का यह कहना असत्य है कि वादी का इस भूमिपर मालिकाना हक चला आ रहा हो। जबकि यह भूमि पूर्णतया राजकीय सम्पत्ति है। जिसका पूर्ण मालिकाना अधिकार सिंचाई विभाग के पास है। वादी स्वयं ही इस कथन को कह कर आया है कि उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड में सिंचाई विभाग राज0 सरकार के खाते में दर्ज है। वादी इस भूमिपर जानबूझ कर अतिकमण कर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है। उक्त भूमि वादी को आजीविका का साधन नहीं रही है। वादी ने किसी भी प्रकार से भूमि को काबिज नहीं बनाया है। ओर न ही रकम खर्च की है वारदी का उक्त भूमि पर वैधानिक कब्जा नहीं है। वादी उक्त भूमि कों आवंटन कराने का अधिकारी नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा खसरा नम्बर 82 के कुछ भाग पर एक मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र का निर्माण किया गया था ताकि नहरों में घास की सभस्या को दूर करने के लिए घास खाने वाली विदेशी मछलियों के बीज पैदा कर तालाब में छोडने की परियोजना बनी। परन्तु विदेशी मछली यहा स्थापित नहीं होने के कारण इस मछली बीज उत्पादन केन्द्र को उपयोग में लेने हेतु यह पूर्ण मछली पालन केन्द्र विभाग को सोंप दिया गया था। इसके नकशे मय आगागी योजना के तैयार किये उसी के अनुसार प्रतिवादी कृम 1 इस फार्मे का उपयोग कर रह है। विभाग द्वारा आज तक किसी भी व्यक्ति को फसल आदि नष्ट नहीं की है। इस प्रकार की शिकायत गत 24 वर्षों में किसी भी व्यक्ति ने विभाग को नहीं की। न ही किसी व्यक्ति या वादी ने विभाग को खसरा नम्बर 82 के आवंटन के पत्र गत 25 वर्षों में विभाग के पास प्रस्तुत किये गये। न ही फार्म के क्षेत्र में आने वाली जमीन में किसी व्यक्ति द्वारा खेती की गई बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। वादी भूमि पर अतिक्रमण की नियत से बारबार सिंचाई विभाग की भूमि पर अपना जबरदस्ती मालिकाना हक जता कर भूमि पर कब्जा बनाना चाहता है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी वैधानिक कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी कम में 1 कभी भी अथवा विभाग ने कभी भी वादी को कोई धमकी नहीं दी न विक्रम गिरी के नाम से कोई कार्यवाही की। क्योंकि वादी ने प्रतिवादी को आज तक यह

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हीं बताया कि उसे खसरा नम्बर 82 का कोनसा क्षेत्र आंवटित है। प्रतिवादी व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी को काश्त करते नहीं देखा गया । वादी के पिछले 25 वर्षों से लगातार कोई कब्जा नहीं हो रहा है वादी को कोई एडवर्स पजेशन नही है वादी को सिंचाई विभाग द्वारा अथवा प्रतिवादी कम 1 द्वारा कोई भूमि आंवटन नहीं की है वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ओर न रहा है तथा वादी उक्त भूमि का मालिक घोषित होने का अधिकार नहीं है खसरा नम्बर 82 पर फार्म के अन्तर्गत जो जमिन सिंचाई विभाग की है उसे सुरक्षित रखना प्रतिवादी कम 1 की जिम्मेदारी है इसलिए इस भुमि पर कोई भी गैर व्यक्ति या वादी आकर अतिक्रमण करता है तो विभाग समय– संमय पर इसकी सूचना सिंचाई विभाग को एवं संबंधित अधिकारियों को देता है परन्तु वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है इस कारण उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी और न उसके साथ झगडा करने व उसे धमकी देने का प्रश्न ही पैदा होता है। वादी से कोई वाद का कारण पैदा नहीं हुआ क्योंकि वादी का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है वादी को वाद प्रस्तूत करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी कम 2 ही खसरा नम्बर 82 ग्राम कन्सुवा पटवार सर्किल रायपुरा की 29.01 हैक्टर भूमि का मालिकाना हक रखता है। प्रतिवादी कम 2 ने इस भूमि के किसी भाग को वादी को आंवटित नहीं किया है। वादी का उपरोक्त भूमि अथवा किसी भाग पर कोई कब्जा नहीं रहा है ओर न वर्तमान में कब्जा है वादी ने कोई काश्त 25 वर्षो से नहीं की है वादी का 25 वर्षों से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है वादी का एडवर्ड परजेंशन नहीं है वादी का उक्त भूमि व उसके भाग से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ओर न उक्त भूमि के संबंध में कोई हक व अधिकार ही प्राप्त होते है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा ही मछली बीज उत्पादन केन्द्र का निर्माण किया गया था जिसे वर्ष 1981–82 में मत्सय विभाग को उपायोग में लेने हेतु सुपुर्द किया गया था वर्ष 1981 से ही मत्सय विभाग खसरा नम्बर 82 में बने पोण्ड व तलाई का उपयोग करता आ रहा है। राजस्थान सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा गैर मुमकिन भूमियों को काश्त के लिए अस्थायी रूप से काश्त हेतु आवंटित किया जाता है ओर एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर काश्त करने वाले व्यक्ति का कोई काब्जा शेष नहीं रहता है ओर आंवटन स्वतः ही निरसत हो जाता है उक्त आंवटन केवल काश्त के बाबत् होता न कि भूमि आंवटन के बाबत्। वाद अवधि मध्य नहीं है। वादी को बिना वाद कारण पैदा हुआ वाद पेश किया है जो स्वतः ही खारिज होना योग्य है। वादी ने प्रतिवादीगण व उनके कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलने देने और अडचन पैदा करने की नियत से व भूमि को हडप करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है इस कारण प्रतिवादीगण वादी से विशेष हर्जाना धारा 35–ए जादी0 के तहत 10000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त जमीन पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करने पर वर्ष 2020 से 2022 में यू0आई0टी0 द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाया गया था। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वयं खारिज फरमाया जावें।

उक्त विवेचन उपरान्त निम्न तनकीयान कायम की गई जो निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तनकी नम्बर 1– आया वादी द्वारा वाद पत्र के साथ स्वत्व या कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है अतः वाद चलने योग्य नही है।

–प्रतिवादी

तनकी नम्बर 2– आया गैर मु0 तालाब की भूमि पर वादी की खातेदारी अतिक्रमी की है रा0टी0एक्ट की धारा 16 के तहत उसे कोई खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता।

–प्रतिवादी

तनकी नम्बर 3– आया वादी ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी ख0नं0 82 की 0.48 है0 पर कब्जा काश्त है।

–वादी

❖ बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उक्त विवादित आराजी पर वादी 26 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ही उक्त आराजी पर निरन्तर एवं अबाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी वादी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2053 से 2056 ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा प्रदर्श 1 एवं नकल खसरा परिवर्तन सम्वत 2046 प्रदर्श 2 पेश किया।

प्रतिवादी के द्वारा कथन किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में सिचाई विभाग के नाम दर्ज है जो राजकीय सम्पति है। यह भूमि गैर मुमकिन किस्म की है। जिसका अस्थायी आंवटन राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अस्थायी तौर पर किया जाता रहता है। वादी की उक्त भूमि अथवा किसी भागपर कोई कब्जा नही रहा है और न वर्तमान में कब्जा है वादी ने कोई काश्त 25 वर्षो से नही की है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

❖ हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

❖ उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया वादी द्वारा वाद पत्र के साथ स्वत्व या कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है अतः वाद चलने योग्य नही है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादी की ओर से कथन किया गया है कि वादी के कब्जे काश्त की खसरा नं0 82 की 0.48 है0 आराजी वाके ग्राम कसुंआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, उक्त आराजी पर वादी का गत 26 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, एवं वादी ही उक्त

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आराजीयात की आज तक निरन्तर व अबाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। वादी की ओर से अपने कथनो के समर्थन में मात्र नकल खसरा परिवर्तन सम्वत 2046 प्रदर्श 2 पेश किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि सम्वत 2046 में उक्त भूमि पर वादी का कब्जा था। वादी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये प्रतिवादी द्वारा कथन किया है कि यह भूमि गैर मुमकिन किस्म की है। जिसका अस्थायी आंवटन राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अस्थायी तौर पर किया जाता रहता है। यह भूमि 29.01 हैक्टर है। इसका कुछ भाग एकं एक वर्ष हेतु प्रतिवर्ष आवंटित किया जाता है। एक वर्ष की अवधि पश्चात् आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस कारण वादी का इस पर लगातार कब्जा होना तथा वादी द्वारा पिछले 25 वर्ष से काश्त करना स्वीकार नहीं है। वादी के पक्ष में प्रति वर्ष आवंटन आदेश नही हुये है। वादी द्वारा इसका प्रतिवर्ष भूमि पर करता जमा कराने की रसीदे व प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस कारण वादी का यह कहना असत्य है कि वादी का इस भूमिपर मालिकाना हक चला आ रहा हो। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात हम प्रतिवादी के उक्त कथन से सहमत है। दस्तावेज प्रदर्श 1 के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि है। दस्तावेज प्रदर्श 2 इसके अलावा वादी की ओर से अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उपरोक्त आराजी पर वादी का कब्जा प्रमाणित होता हो। यदि वादी पूर्व में भी कोई कब्जा किया होगा तो उसकी हैसियत एक अतिक्रमी से ज्यादा नही है। जिस कारण से वादी को खसरा नं0 82 पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया गैर मु0 तालाब की भूमि पर वादी की खातेदारी अतिक्रमी की है रा0टी0एक्ट की धारा 16 के तहत उसे कोई खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। संलग्न दस्तावे प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि खसरा नं0 82 भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि है। जिसकी किस्म गै0मु0तालाब है। मात्र खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज होने से ही प्रार्थी का मालिकाना हक नही माना जा सकता। उक्त भूमि सरकारी है। भूमि सिंचाई विभाग के नाम है। किस्म गै0मु0तालाब है जो कि एक प्रतिबंधित श्रेणी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदार अधिकरी उत्पन्न नही हो सकते है। अतः तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3– आया वादी ग्राम कन्सुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी ख0नं0 82 की 0.48 है0 पर कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त तनकी की विवेचना तनकी नं0 1 में की जा चुकी है। जिसमें उक्त आराजी पर वादी का कब्जा प्रमाणित नही होता है। अतः तनकी नं0 3 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 92 ए अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा पृथक से किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा